अतिआवश्यक/महत्वपू

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

## 1- बी0एन0लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013

दिनाँक:लखनऊ:जनवरी 31 2014

सेवा में

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**

**उत्तर प्रदेश।**

**विषय:** मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की पूर्ण वैधानिक पीठ द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में दिनाँक 12-11-2013 को पारित आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

कृपया उपर्युक्त विषयक इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.12.2013 के क्रम में अग्रेतर निर्देशित किया जाता है कि:-

1-समस्त संज्ञेय अपराधो की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जाएगी। दिनाँक 30-12-2013 को निर्गत समसंख्यक पत्र के पैरा 2(vi) में उल्लिखित प्रकरणों में ही अभियोग पंजीकृत करने से पूर्व समयबद्ध प्रारम्भिक जाँच की जा सकती है ।

2-प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त थानाध्यक्ष/विवेचक को यदि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी में दर्ज अपराध की प्रकृति तथा परिमाण के सम्बन्ध में तत्काल जाँच की आवश्यकता है तो विवेचक अविलम्ब घटना स्थल व अन्य रूप से प्राप्त साक्ष्यों का संग्रह कर सूक्ष्म विषलेशण करेगा तथा स्थिति के अनुरूप वैद्यानिक कार्यवाही करेगा। वह तत्काल नवीन तथ्यों/स्थिति की जानकारी से अपने प्रथम पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत करायेगा।

3-गम्भीर प्रकृति के अभियोग में विशेष आख्या भेजनी होती है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पंजीकृत अभियोग की धाराओं पर प्रथम दृष्टया संदेह है, प्राथमिकी के तुरन्त बाद एस0आर0 नहीं भेजी जाएगी वरन घटना स्थल के निरीक्षण तथा तत्समय उपलब्ध समस्त सुसंगत साक्ष्य के गम्भीर परिशीलन के उपरान्त ही विशेष रिपोर्ट यदि आवश्यक हो तो, प्रेषित की जाय ।

4-पंजीकृत अभियोग में नामजद व्यक्ति तभी अभियुक्त माना जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि अभियुक्त के घटना में संलिप्त होने के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य व पुष्टिकारक तथ्य उपस्थित है।

5-गिरफ्तारी करने से पूर्व विवेचक अपने प्रथम पर्यवेक्षक अधिकारी को अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में उपलब्ध सभी साक्ष्य एवं तथ्यों से अवगत कराते हुये गिरफ्तारी हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगा । प्रथम पर्यवेक्षक अधिकारी भी उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन कर स्वंय संतुष्ट हो लेंगे और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धारा 41 व 41ए सी0आर0पी0सी0 में उल्लिखित कारणों के तहत ही गिरफ्तारी का अनुमोदन दिया गया है। सतही एवं असम्बन्ध साक्ष्य के आधार पर

गिरफ्तारी नहीं की जायेगी । इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समसंख्यक पत्र दिनाँक 30-12-2013 के पैरा 3 का भली-भाँति अध्ययन कर लें ।

6- प्रायः ऐसा देखा गया है कि शत-प्रतिशत पंजीकृत अभियोगों के फलस्वरूप लम्बित विवेचनाओं की संख्या बढती रहती है तथा विभिन्न पर्यवेक्षणीय स्तर से विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश निर्गत किये जाते है। विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि विवेचनाओं का निस्तारण अपराध की गम्भीरता एवं महत्व के आधार पर किया जाये। यथा गंभीर प्रकार के अभियोगों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर पहले किया जाये एवं कम गंभीर व सामान्य अपराधों की विवेचना प्राथमिकता निर्धारण के क्रम में क्रमशः बाद में रखी जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में कार्यशाला का आयोजन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियां/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

31/1/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।